awaited, hence the pendency of the proposal.

चुनार रेलवे स्टेशन पर विभिन्न गाड़ियों को ठहराव दिया जाना

3195. **श्री राजनाथ सिंह:**
श्रीमती मालती शर्मा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नागरिक उपभोक्ता समिति, चुनार (उत्तर प्रदेश) ने उत्तर रेलवे के चुनार जंक्शन पर अपनी मांगों के समर्थन में 12 मार्च, 15 मई, 30 जून, 1995 तथा 12 मार्च, 1996 को धरना एवं प्रदर्शन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त समिति के चुनार जंक्शन पर मगध, कटिहार, कालका तथा नीलांचल एक्सप्रेस को ठहराव देने तथा इस जंक्शन पर ठहरने वाले सभी गाड़ियों में आरक्षण कोटा के अन्तर्गत न्यूनतम 10—15 बर्थ आबंटित करने और चुनार रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे ओवर ब्रिज (उपरिपुल) के निर्माण हेतु रेल मंत्रालय को ज्ञापन दिया था; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) जी हां।

(ख) नागरिक उपभोक्ता समिति, चुनार (उ०प्र०) ने मगध एक्सप्रेस, कटिहार एक्सप्रेस नीलांचल एक्सप्रेस तथा कालका मेल को चुनार जंक्शन पर ठहराव की व्यवस्था करने तथा चुनार जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली गाड़ियों में आरक्षण कोटा आबंटित करने की अपनी मांगें मनवाने के लिए उक्त तारीखों को धरना और प्रदर्शन किया था। उन्होंने यात्रियों के लिए चुनार जंक्शन पर शौचालय सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा चुनार बस अड्डे के निकट रेल ऊपरी पुल का निर्माण करने की भी मांग की थी।

(ग) जी हां।

(घ) मगध, कटिहार (महानंदा एक्सप्रेस) तथा कालका मेल को ठहराव देने से संबंधित अनुरोधों की जांच की गई थी परन्तु इसे औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया। नीलांचल एक्सप्रेस चुनार के रास्ते नहीं गुजरती है। चुनार जंक्शन पर पहले से उपलब्ध कोटे के अतिरिक्त हाल ही में 4307 (मुगलसराय-बरेली पैसेंजर) में शयनयान दर्जे की पांच शायिकाओं तथा 4269 (शक्तिनगर-लखनऊ एक्सप्रेस) में शयनयान दर्जे की दो शायिकाओं का कोटा आबंटित किया गया है। अन्य गाड़ियों में, कोटा धारक मौजूदा स्टेशनों द्वारा कोटे के पूर्णतः उपयोग के कारण कोई कोटा आबंटित करना व्यावहारिक नहीं है, चुनार रलवे स्टेशन के निकट ऊपरी पुल के निर्माण के संबंध में कोई प्रस्ताव राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण से प्राप्त नहीं हुआ है। रेलें उस संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित प्रस्तावों पर विचार करती हैं जो वर्तमान नियमों के अनुसार ऐसे कार्य की लागत में भागीदारी करने को सहमत हो।

"Illicit trade in sandalwood"

3196 SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of ENVIRONEMNT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that multi-crore illicit trade in sandalwood continues unabated and that plundering of forest wealth and deforestation in Tamil Nadu has been on the increase;

(b) if so, the reaction of Government with regard thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONEMT AND FORESTS (CAPT. JAI NARA N PRASAD NISHAD): (a) No, Sir. The Government of Tamil Nadu is taking preventive measures to control illicit removal of forest produce and smuggling of Sandalw ood etc. There are 10 forests protecting squads, 6 Flying Squads and 2 Striking forces engaged to curb the activities of the anti-social elements and smugglers, etc.

(b) Does not arise.

Conversion of Nadi -Kapadvanj railway line

3197. SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that conversion of Nadiad-Kapadvanj railway line from MG to BG was sanctioned in the year 1960 and the construction on the line has